# माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / 1440/ वित्त–3 / 2012 भोपाल, दिनांक 19/ 12 / 2012

प्रति,

प्राचार्य
समस्त समन्वयक संस्था
मध्यप्रदेश

**विषयः– ई–पेंमेंट के माध्यम से राशि भुगतान बाबत्।**

––00––

मण्डल द्वारा संचालित परीक्षा वर्ष 2012–13 के लिए समस्त मान्यता प्राप्त स्कूलों को प्रायोगिक परीक्षा एवं परीक्षा केन्द्रों को परीक्षा अनुदान राशि का वितरण जिले की समस्त संस्थाओं एवं केन्द्रो को जिले की समन्वयक संस्था के माध्यम से किये जाने का निर्णय मण्डल द्वारा लिया गया है। समस्त स्कूलों के प्राचार्य/केन्द्रो के केन्द्राध्यक्ष के खाते में राशि ई–पेंमेट के माध्यम से भुगतान की जाना है।

जिले की समस्त संस्थाओं की राशि मण्डल द्वारा जिले की समन्वयक संस्था के खाते मे स्थानान्तरित कर, जिले के स्कूल/केन्द्रो की सूची दो प्रतियों में जिसमें उन्हें वितरित की जाने वाली राशि अंकित रहेगी, समन्वयक संस्था को उपलब्ध कराई जावेगी। समन्वयक संस्था प्राचार्य उसी सूची में स्कूल का एकान्ट नं., आई.एफ.एस.सी. कोड, बैंक का नाम अंकित कर पावती प्राप्त करेगे तथा पावती वाली सूची पूर्ण राशि वितरण उपरांत तत्काल मण्डल मुख्यालय को भेजेगें। समस्त मान्यता प्राप्त संस्थाओं की बैंक का नाम तथा आई.एफ.सी. कोड़ एम.पी.–ऑनलाईन पोर्टल पर 25 दिसम्बर तक अपलोड़ कराना सुनिश्चित करें।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल
मध्यप्रदेश भोपाल

पृष्ठा. क्रमांक / 1441/ वित्त–3 / 2012 भोपाल, दिनांक 19/ 12 / 2012

प्रतिलिपिः–

1. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, म.प्र. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, भोपाल म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
3. समस्त संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल म.प्र. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल
मध्यप्रदेश भोपाल

# माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / 1442 / वित्त–3 / 2012 भोपाल, दिनांक 19/ 12 / 2012

प्रति,

प्राचार्य
समस्त मान्यता प्राप्त संस्था
मध्यप्रदेश

**विषयः– ई–पेंमेंट के माध्यम से राशि भुगतान बाबत्।**

— 00—

मण्डल द्वारा संचालित परीक्षा वर्ष 2012–13 के लिए समस्त मान्यता प्राप्त स्कूलों को प्रायोगिक परीक्षा एवं परीक्षा केन्द्रों को परीक्षा अनुदान राशि का वितरण जिले की समस्त संस्थाओं एवं केन्द्रो को जिले की समन्वयक संस्था के माध्यम से किये जाने का निर्णय लिया गया है। समस्त स्कूलों के प्राचार्य / केन्द्रो के केन्द्राध्यक्ष के खाते में राशि ई–पेंमेट के माध्यम से भुगतान की जाना है।

जिले की समस्त संस्थाओं की राशि मण्डल द्वारा जिले की समन्वयक संस्था के खाते मे स्थानान्तरित कर, जिले के स्कूल / केन्द्रो की सूची दो प्रतियों में जिसमें उन्हें वितरित की जाने वाली राशि अंकित रहेगी, समन्वयक संस्था को उपलब्ध कराई जावेगी। समन्वयक संस्था प्राचार्य उसी सूची में स्कूल का एकान्ट नं., आई.एफ.एस.सी. कोड, बैंक का नाम अंकित कर पावती प्राप्त करेगे तथा पावती वाली सूची पूर्ण राशि वितरण उपरांत तत्काल मण्डल मुख्यालय को भेजेगें। समस्त मान्यता प्राप्त संस्थाओं की बैंक का नाम, प्राचार्य का खाता क्रमांक तथा आई.एफ.सी. कोड़ संलग्न प्रपत्र में भर कर 31 दिसम्बर तक अपनी सुविधानुसार अपने जिले की समन्वय संस्था में जमा करें तथा एम.पी.–ऑनलाईन पोर्टल पर 31 दिसम्बर तक अपलोड़ कराना भी सुनिश्चित करें।

**सचिव की आज्ञा से**

संयुक्त संचालक (वित्त)
माध्यमिक शिक्षा मण्डल
मध्यप्रदेश भोपाल

पृष्ठा. क्रमांक / 1443 / वित्त–3 / 2012 भोपाल, दिनांक 19/ 12 / 2012

प्रतिलिपिः–

1. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, म.प्र. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, भोपाल म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
3. समस्त संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल म.प्र. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संयुक्त संचालक (वित्त)
माध्यमिक शिक्षा मण्डल
मध्यप्रदेश भोपाल

## बैंक खाते की जानकारी का प्रपत्र

जिला– ..................................

1. संस्था कोड ..............................................................................................

2. संस्था का नाम ..............................................................................................

..............................................................................................

3. संस्था प्राचार्य का नाम ..............................................................................................

4. संस्था प्राचार्य का बैंक खाता क्रमांक ..............................................................................................

5. बैंक का IFSC कोड ..............................................................................................

6. बैंक का नाम ..............................................................................................

..............................................................................................

7. प्राचार्य का मोबाईल नं. ..............................................................................................

प्राचर्य हस्ताक्षर एवं
पद मुदा

*नोट– प्रपत्र में समस्त जानकारी स्पष्ट एवं सही भरी जावे गलत जानकारी की स्थिति में राशि स्थानान्तरित न होने पर मण्डल की जबावदारी नहीं रहेगी।*